जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2021/palm/05 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शनिवार, 21 अगस्त 2021

विशेष रिपोर्ट-1

हॉस्पिटल की जमीन पर शराब का शोरूम!!!

जेडीए और आबकारी विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों की शह से जेएलएन मार्ग पर स्थित संस्थानिक भू-पट्टी पर खुल गया शराब का शोरूम!!!

राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिलवाई जेडीए को 400 करोड़ की जमीन, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों के चलते हो रहे अवैध कब्जे और अवैध निर्माण!!!

जयपुर की वीवीआईपी सड़क जेएलएन मार्ग पर पहली बार खुला राज्य का सबसे बड़ा शराब का शोरूम!!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

जेएलएन मार्ग स्थित लाल बहादुर नगर के भूखंड संख्या ए-11/4,ए-12/2,ए-9,ए-9/1,ई-79 SL मार्ग पर खुले शराब के शोरूम का मामला|

आप लोगो ने दिल्ली,मुंबई,चंडीगढ़ जैसे बड़े-बड़े शहरों मे शराब के बड़े-बड़े शोरूम देखे होंगे| लेकिन अब राजस्थान के गांधी कहलाने वाले मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब के राज मे ऐसे कई बड़े बड़े शोरूम आपको जयपुर के व्यस्त इलाकों मे भी देखने को मिल जाएंगे|बहरहाल इसमे से अधिकांश दुकाने/शोरूम आवासीय भूखंडों पर संचालित हो रही है|हालांकि आवासीय भूखंडों पर शराब की दुकान खोलने मे आबकारी विभाग को कोई आपत्ति नहीं होती क्यूंकि यह उनका विषय नहीं है,उन्हे तो शराब की दुकान खोलने की अनुमति देने से पहले आबकारी नियम 1956 के नियम 75 के अनुरूप धार्मिक स्थलों,अस्पतालों शैक्षणिक संस्थानों से 200 मीटर दूरी देखने की आवश्यकता होती है|

लेकिन आवासीय भूखंडो पर व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन जेडीए एक्ट के अनुसार प्रतिबंधित है|यदि कोई ऐसा करता है तो धारा 32,33,34 के तहत उसे सील/ध्वस्त करने के कड़े प्रावधान है|आज हम जिस शराब की दुकान/शोरूम का जिक्र कर रहे है वह जेडीए और आबकारी विभाग मे व्याप्त भ्रष्टाचार का जीता-जागता उदाहरण है|हम बात कर रहे है जेएलएन मार्ग पर स्थित शराब के बड़े शोरूम की जो कि आजकल सभी जगह चर्चा का विषय है|

जेडीए ने घोषित कर रखी है जेएलएन मार्ग के दोनों तरफ 200- 200 फीट की संस्थानिक पट्टी|

जेडीए द्वारा जेएलएन मार्ग के दोनों तरफ 200- 200 फीट की संस्थानिक पट्टी घोषित कर रखी है,सरकार द्वारा सभी हाउसिंग को-ओपरेटिव सोसाइटी वालों को उनके द्वारा इन सड़क के दोनों तरफ सृजित की गयी कॉलोनियों मे से इस रोड से लगती हुई 200 फीट की पट्टी को जेडीए के पक्ष मे समर्पित करने के आदेश दिये गए थे,जिसे संस्थानिक पट्टी का नाम दिया गया था और इस जगह का उपयोग केवल संस्थानिक कार्यों हेतु ही किया जाना था|अर्थात इस रोड के दोनों तरफ की 200-200 फीट की चौड़ाई मे किसी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियों की अनुमति नहीं है|लेकिन इसके बावजूद कोरोना काल मे जब सारी जनता घरों के अंदर थी उस समय जेडीए के जिम्मेदार अधिकारियों से मिलीभगत करके जेएलएन मार्ग स्थित लाल बहादुर नगर द्वारा छोड़ी जाने वाली 200 फिट संस्थानिक पट्टी मे अवैध पट्टे काटकर, सर्जित किए गए 4 भूखंडो;भूखंड संख्या ए-11/4,ए-12/2,ए-9,ए-9/1,ई-79 SL मार्ग पर अवैध निर्माण कर,शराब का शो रूम बना लिया गया|

जेडीए के रेकॉर्ड मे यह जमीन गर्ग हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम दर्ज|

आपको बता दें कि जेडीए के रेकॉर्ड के अनुसार यह जमीन गर्ग हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम दर्ज है|रामजीपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा जेएलएन मार्ग पर लाल बहादुर नगर नामक स्कीम काटी गयी थीजिसके कर्ता-धर्ता डॉक्टर कैलाश गर्ग है|जिनकी कई स्कीमे आज भी विवादित है और कोर्ट मे अटकी पड़ी है|उनके द्वारा काटी गयी लाल बहादुर नगर मे आज दिन तक 200 फीट की संस्थानिक पट्टी जेडीए के पक्ष मे समर्पित नहीं की गयी है और इस जमीन पर भूखंड काट कर, विभिन्न लोगो को बेच दिये गए है|उनके द्वारा इस संस्थानिक जमीन को अपनी पत्नी डा॰ विभा के गर्ग के नाम से रजिस्टर्ड गर्ग हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम करवा दी गयी|इस जमीन को लेकर कई विवाद विभिन्न न्यायालयों मे लंबित है|और वर्ष 2017 मे दिये गए एक निर्णय मे राज. उच्च न्यायालय द्वारा इस जमीन को जेडीए के स्वामित्व की मानते हुए,200 फिट संस्थानिक पट्टी माना है|

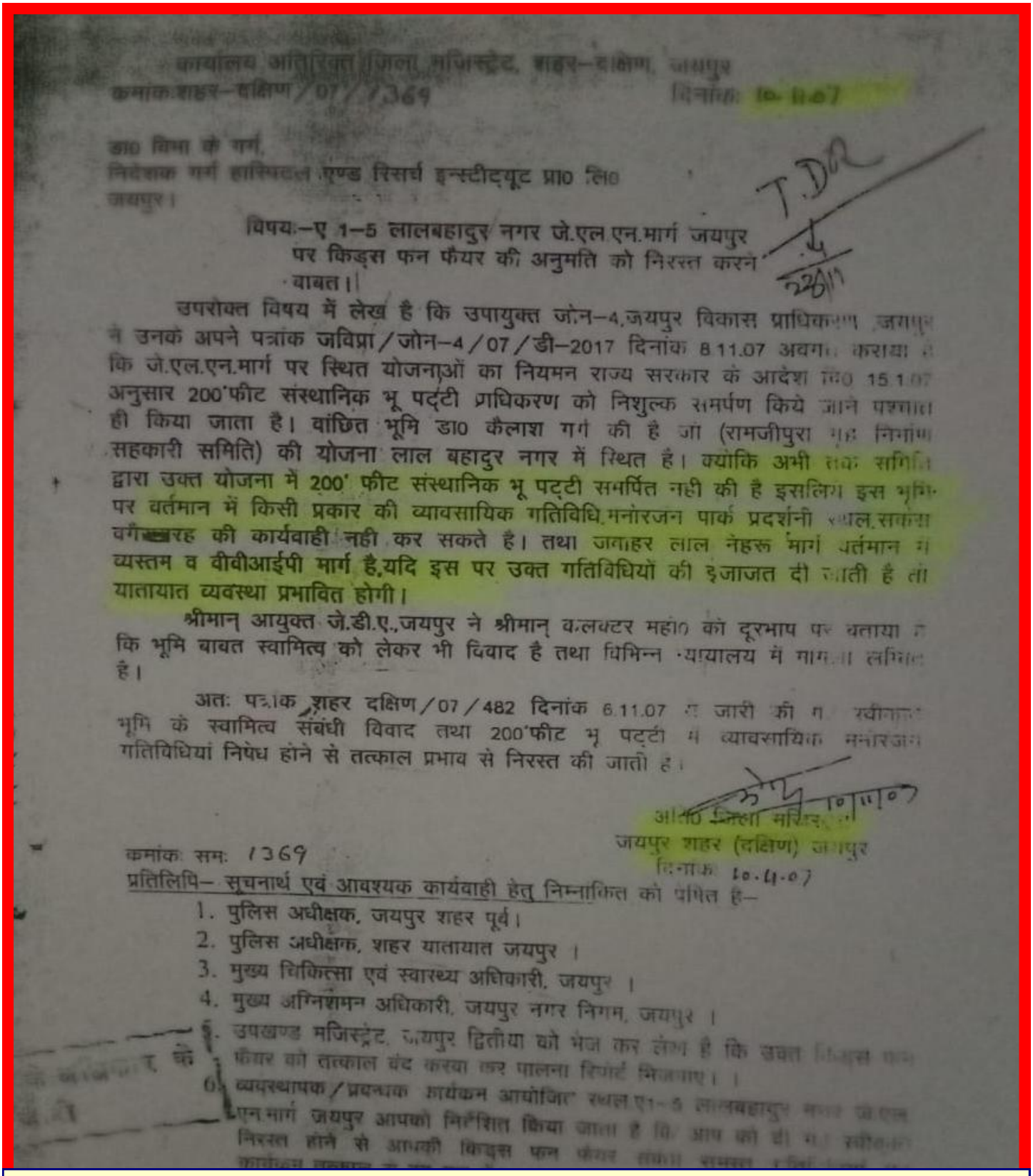

कार्यालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, शहर–दक्षिण, जयपुर

क्रमांक शहर–दक्षिण / 07 / 1369 दिनांक 10-11-07

डा0 विभा के गर्ग,
निदेशक गर्ग हास्पिटल एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट प्रा0 लि0
जयपुर।

विषय:–ए 1–5 लालबहादुर नगर जे.एल.एन.मार्ग जयपुर पर किड्स फन फैयर की अनुमति को निरस्त करने बाबत।

T.DR
22/11

उपरोक्त विषय में लेख है कि उपायुक्त जोन–4,जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ने उनके अपने पत्रांक जविप्रा / जोन–4 / 07 / डी–2017 दिनांक 8.11.07 अवगत कराया है कि जे.एल.एन.मार्ग पर स्थित योजनाओं का नियमन राज्य सरकार के आदेश दि0 15.1.07 अनुसार 200'फीट संस्थानिक भू पट्टी प्राधिकरण को निशुल्क समर्पण किये जाने पश्चात ही किया जाता है। वांछित भूमि डा0 कैलाश गर्ग की है जो (रामजीपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति) की योजना लाल बहादुर नगर में स्थित है। क्योंकि अभी तक समिति द्वारा उक्त योजना में 200' फीट संस्थानिक भू पट्टी समर्पित नही की है इसलिए इस भूमि पर वर्तमान में किसी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि,मनोरंजन पार्क प्रदर्शनी स्थल,सर्कस वगैरह की कार्यवाही नही कर सकते है। तथा जवाहर लाल नेहरू मार्ग वर्तमान में व्यस्तम व वीवीआईपी मार्ग है,यदि इस पर उक्त गतिविधियों की इजाजत दी जाती है तो यातायात व्यवस्था प्रभावित होगी।

श्रीमान् आयुक्त जे.डी.ए.,जयपुर ने श्रीमान् कलक्टर महो0 को दूरभाष पर बताया है कि भूमि बाबत स्वामित्व को लेकर भी विवाद है तथा विभिन्न न्यायालय में मामला लम्बित है।

अतः पत्रांक शहर दक्षिण / 07 / 482 दिनांक 6.11.07 से जारी की गई स्वीकृति भूमि के स्वामित्व संबंधी विवाद तथा 200'फीट भू पट्टी में व्यावसायिक मनोरंजन गतिविधियां निषेध होने से तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है।

10/11/07
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
जयपुर शहर (दक्षिण) जयपुर
दिनांक 10.11.07

क्रमांक सम: 1369

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित है–

1. पुलिस अधीक्षक, जयपुर शहर पूर्व।
2. पुलिस अधीक्षक, शहर यातायात जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर।
4. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, जयपुर नगर निगम, जयपुर।
5. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जयपुर द्वितीय को भेज कर लेख है कि उक्त किड्स फन फेयर को तत्काल बंद करवा कर पालना रिपोर्ट भिजवाए।
6. व्यवस्थापक / प्रबन्धक कार्यक्रम आयोजित स्थल ए1–5 लालबहादुर नगर जे.एल.एन.मार्ग जयपुर आपको निर्देशित किया जाता है कि आप को दी गई स्वीकृति निरस्त होने से आपकी किड्स फन फेयर [illegible]

तत्कालीन जयपुर कलेक्टर द्वारा जिस जमीन पर मेला तक लगाने की अनुमति नहीं दी थी उस जमीन पर जेडीए के अधिकारियों ने अवैध शोरूम बनवा दिया और इस अवैध शोरूम मे आबकारी विभाग ने शराब की दुकान के लिए लाइसेन्स भी दे दिया|

जेडीए की 200 फिट की संस्थानिक पट्टी मे हॉस्पिटल के नाम आवंटित जमीन पर चल रहा शराब का शोरूम

"The Liquor Mart"

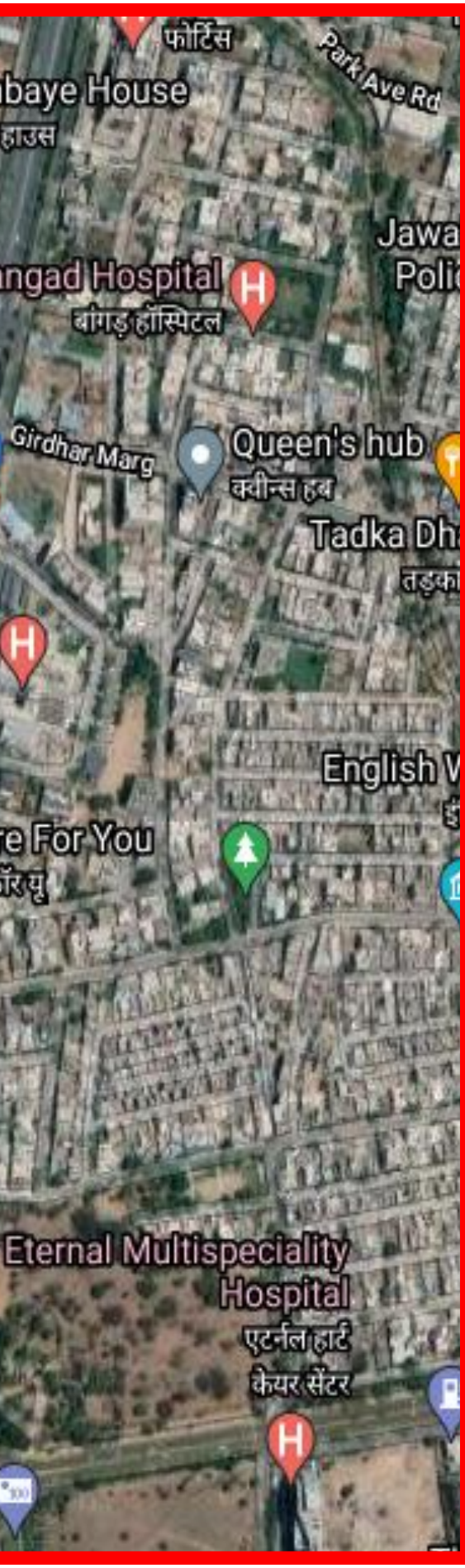

दुर्गापुरा,जयपुरियॉ अस्पताल,जे.एल.एन.मार्ग,टोंक रोड़ क्षेत्र

Durgapura, Jaipuria Hospital, JLN Marg, Tonk Road

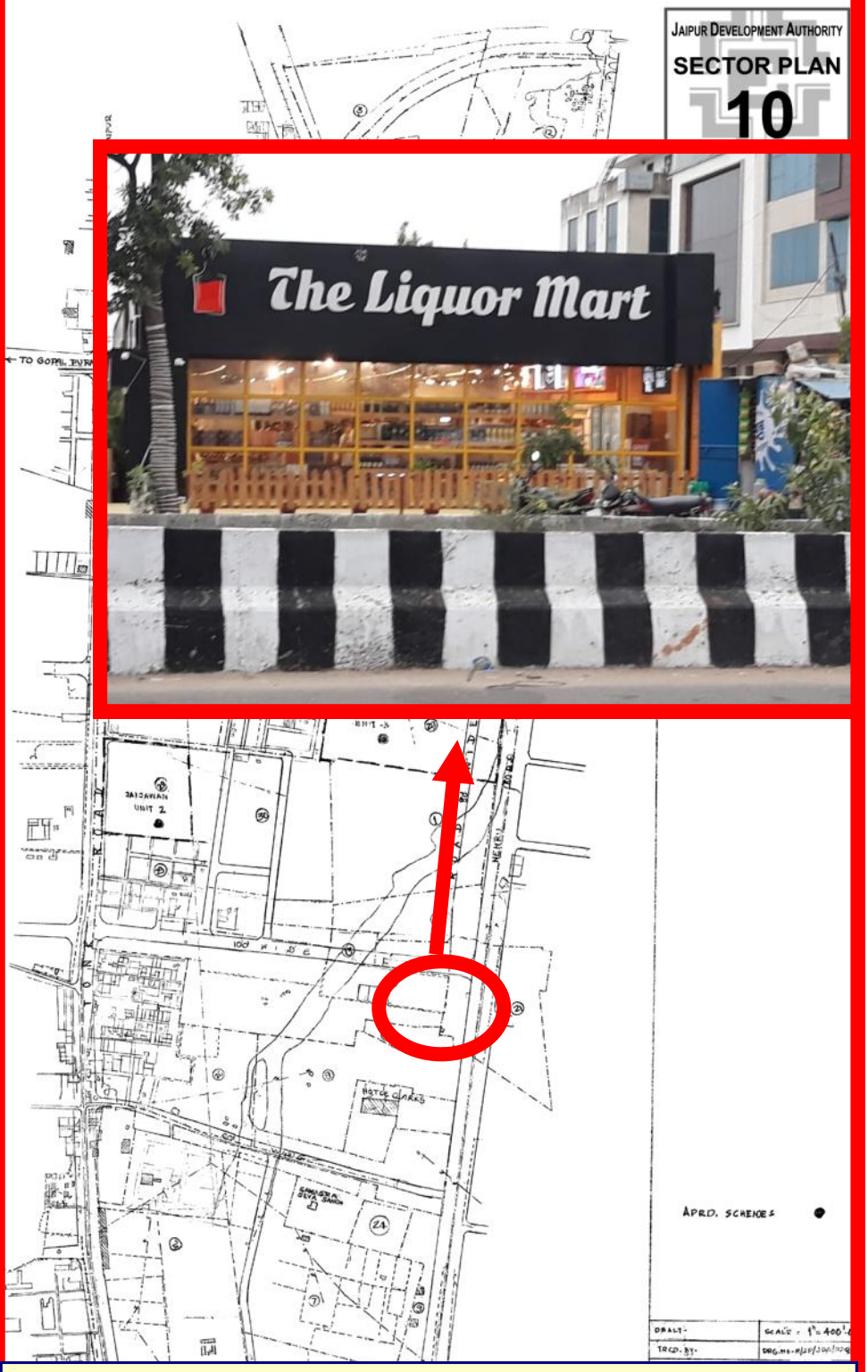

जेडीए के नक्शे मे यह जमीन 200 फिट संस्थानिक पट्टी के रूप मे दर्ज है|

हाईकोर्ट ने जेडीए को दिलाई 400 करोड़ की जमीन

याचिका को किया खारिज

जयपुर। राजधानी स्थित जवाहर लाल नेहरू मार्ग के पास करीब 23 हजार वर्ग गज जमीन को लेकर 17 साल तक खींचतान चलती रही। हाईकोर्ट ने करीब 400 करोड़ रुपए की जमीन से जुड़े इस मामले में करीब 12 साल से चल रही याचिका को खारिज कर दिया है।

न्यायाधीश मनीष भण्डारी ने गर्ग हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की याचिका पर यह आदेश दिया है। तथ्यों के अनुसार रामजीपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति ने यह जमीन 1966 व 1970 में काश्तकारों से खरीदी। समिति ने लाल बहादुर नगर स्कीम विकसित की और डॉ. कैलाश गर्ग की कंपनी ने समिति से पट्टे खरीद लिए थे। इसके बाद गर्ग हॉस्पिटल की ओर से भूरुपान्तरण और नियमन के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया। कोर्ट के सामने आया कि तहसीलदार ने सोसायटी के खिलाफ काश्तकारी अधिनियम की धारा 90(बी)(2) के तहत कार्रवाई शुरु की।

कृषि भूमि के अकृषि उपयोग के कारण जमीन जेडीए के पास चली गई। 2002 में सरकार ने जेडीए से कहा कि 200 फीट लम्बी पट्टी समर्पित करने पर नियमन कर दिया जाए। गर्ग हॉस्पिटल की ओर से 200 फीट की भू पट्टी इसी कार्रवाई को चुनौती दी गई।

कोर्ट ने कहा कि रुपान्तरण हुआ ही नहीं, केवल उसकी प्रक्रिया शुरु हुई। काश्तकारी अधिनियम की धारा 90(बी)(2) में जमीन का आवंटन हुआ ही नहीं। जमीन 2000 में ही जेडीए की हो गई, पट्टेधारी व गर्ग हॉस्पिटल को जमीन पर हक नहीं है। ऐसे में गर्ग हॉस्पिटल अतिक्रमी है। ऐसी जमीन का सरकार नियमन नहीं कर सकती। जेडीए अधिनियम की धारा 54 के तहत आवंटन ही संभव है, लेकिन वह नीलामी या बाजार भाव से ही संभव है।

राजस्थान पत्रिका मे दिनांक 11/11/2017 को प्रकाशित खबर से साभार

116	Country Liquor	Jaipur City	Jaipur	Jaipur East	Parvesh Patial	Shop No 1 Ward No 60(H), 64(H)	1. CHANDI KI TAKSAL,JAIPUR (HERITAGE WARD 60(H)
117	Country Liquor	Jaipur City	Jaipur	Jaipur West	Ravikant Sharma S/O	Shop No 4 Ward No 52(G) 55(G)	1. Plot. no 01 , Shop No. 02, Rathore Nagar, main Queens Raod Jaipur Rajasthan
118	Country Liquor	Jaipur City	Jaipur	Sanganer	Rajendra Kumar	Shop No 1 Ward No 98(G) 99(G)	1. Shop no 77-78, Krishna vihar Kumbha Marg
119	Country Liquor	Jaipur City	Jaipur	Jaipur South	Arvind Gupta	Shop No 1 Ward No 129(G) 130(G) 131 (G)	1. SHOP NO. 03 OPP. HONDA SHIN SHOWROOM MAIN TONK ROAD JAIPUR
120	Country Liquor	Jaipur City	Jaipur	Jaipur(South East)	Arvind Gupta	Shop No 2 Ward No 125(G)	1. A-11/4,A-12/2,A-9,A-9/1,E-79 S.L.MARG JAIPUR

आबकारी विभाग के अनुसार इस संस्थानिक पट्टी पर फर्जी तरीके से सृजित किए गए भूखंडो;भूखंड संख्या ए-11/4,ए-12/2,ए-9,ए-9/1,ई-79 SL मार्ग पर लाईसेन्सी अरविंद गुप्ता द्वारा शराब की दुकान संचालित की जा रही है|

श्री अरविंद गुप्ता के नाम से है इस शराब की दुकान का लाइसेन्स|

आपको बता दें कि चालू वित्तीय वर्ष मे इस शराब की दुकान का लाइसेन्स श्री अरविंद गुप्ता के नाम है लेकिन अंदरखानो से खबर है कि इसे किसी रसुखदार आईएएस का भाई संचालित कर रहा है|इस दुकान को श्री अरविंद गुप्ता ने दो लाख रुपए माह पर श्री ओम प्रकाश गर्ग से किराए पर ली है|लेकिन सूत्रों के अनुसार यह किराया नामा नंबर एक का है| नंबर दो मे इस विशालकाय शोरूम का किराया इससे कहीं अधिक है|

आबकारी विभाग का खेल,शहर की व्यस्थतम और वीवीआईपी रूट वाली सड़क पर जिस पर आज तक कोई शराब की दुकान तक

जेएलएन मार्ग पर स्थित भूखंड का एक फ्रंट जेएलएन मार्ग पर खुलता है|

नहीं है वहाँ पर राज्य के सबसे बड़े शराब के शोरूम को खोलने की इजाजत दे दी गयी|

जानकारों के अनुसार आबकारी अधिकारियों को यह हकीकत पता थी कि जिस जमीन पर यह शराब का शोरूम खोला जा रहा है वह जमीन संस्थानिक पट्टी पर स्थित है,उससे भी बड़ी बात यह कि जिस जमीन को अति व्यस्ततम और वीवीआईपी रूट मानते हुए तत्कालीन जिला कलेक्टर द्वारा मेला लगाने तक की अनुमति नहीं दी थी वहाँ पर शराब की दुकान खोलने की इजाजत कैसे दी जा सकती है?गौरतलब है कि जयपुर का जेएलएन मार्ग ही एक मात्र सड़क है जिसके रूट पर आज तक किसी शराब की दुकान को खोलने की अनुमति नहीं दी गयी है|संभवत:यह पहला मामला है जिसमे नियमों को ताक पर रख कर इस वीवीआईपी रूट पर शराब की दुकान नहीं बल्कि शराब के शोरूम को खोलने की इजाजत दे दी गयी|सूत्रों के अनुसार इस

मामले पर पर्दा ढकने के लिए इसको जेएलएन मार्ग से जुड़ी एक अन्य व्यस्ततम रोड एसएल मार्ग पर होना बताया गया है लेकिन यदि 4000 मीटर से अधिक के इस भूखंड का जेएलएन मार्ग वाला फ्रंट खोल दिया जाए तो यह मुख्य सड़क पर आ जाएगा|जानकारों के अनुसार निकट भविष्य मे जैसे ही यह मामला ठंडा पड़ेगा इस शोरूम की जेएलएन मार्ग के फ्रंट से एंट्री रखने की योजना है|

कहाँ है राजस्थान के गांधी कहलाने वाले हमारे मुख्यमंत्री महोदय?

वैसे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को राजस्थान का गांधी कहा जाता है लेकिन चूंकि वह विगत लंबे समय से कोरोना के चलते घर मे बंद है अतः शायद उन्हे राज्य की अति व्यस्ततम और वीवीआईपी कहलाई जाने वाली इस सड़क पर खोले गए इस शोरूम की जानकारी नहीं है|लेकिन क्या यह संभव है कि उनके सिपहसालाहों और कारिंदो को भी इस शराब के शोरूम की भनक नहीं लगी हो?

जवाब मांगते सवाल?

1. जेडीए की संस्थानिक पट्टी मे कैसे खुल गया यह शराब का शोरूम?
2. क्या जेडीए के आला अधिकारियों को भनक तक नहीं लगी कि जिस जमीन की लड़ाई को उन्होने 17 साल मे जीता है वह अब भूमाफियाओं और शराब माफियाओं के चंगुल मे वापस चली गयी है?
3. क्या जेडीए की प्रवर्तन शाखा को ऐसे भूमाफियाओं और अवैध निर्माणकर्ताओं के तलवे चाटने के लिए जेडीए मे भर्ती कर रखा है?जेडीए ज़ोन-4 के इंस्पेक्टर ने कितने मे बेचा है अपना ईमान?आखिर कैसे कोरोना काल मे बन गया शराब का यह अवैध शोरूम?क्या वह अपनी सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल केवल पैसा उगाहने के लिए ही उपयोग मे लेते है?
4. कौन है यह अरविंद गुप्ता जिसने आबकारी विभाग से लाइसेन्स लेकर इस संस्थानिक पट्टी पर शराब की दुकान खोली है?
5. आखिर शराब का लाइसेन्स लेने के लिए अरविंद गुप्ता ने किस व्यक्ति/भूखंडधारी से किया इन चार भूखंडों का एग्रीमेंट?क्या वाकई इस शराब के शोरूम का किराया मात्र 2 लाख रुपए महिना है या फिर 2 नंबर मे कहीं अधिक का है?
6. आबकारी विभाग के किस आबकारी निरीक्षक ने की जिला आबकारी अधिकारी से इस शराब के शोरूम को खोलने की अनुशंसा?क्या आबकारी अधिकारियों को नहीं पता की जिस जमीन पर वह शराब के शोरूम को खोलने की अनुमति दे रहे है वह संस्थानिक पट्टी मे आती है?
7. क्या राजस्थान आबकारी नियमो मे ऐसे शराब के शोरूम खोलने की इजाजत है जो ग्राहकों को शराब खरीदने के लिए प्रेरित करें?
8. क्या शहर के व्यस्ततम और वीवीआईपी रूट पर शराब की दुकान खोलने की अनुमति दी जा सकती है?आखिर इससे पहले आज तक क्यूँ नहीं खोली गयी जेएलएन मार्ग पर कोई शराब की दुकान?
9. इस शराब के शोरूम को खोलने के लिए कितनी न्योछावर चढ़ाई गयी होगी आबकारी विभाग मे?

इस संस्थानिक पट्टी पर चल रही अन्य व्यवसायिक गतिविधियों का खुलासा और इस शराब के शोरूम मे हो रही अनियमितताओं का खुलासा अगले अंक मे जारी.....